

एस सी पी

360

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

देहरादून, दिनांक 28 मार्च, 2006

महोदय,

$$\begin{array}{r} 1167 \\ \hline 31 \overline{) 3166} \end{array}$$

माला	व
31	2/4

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

13/17

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित धारों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशिं स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

[illegible]

गुरु मठ
श्री-नन्दनसिंह
न. व. अ. अ. अ.

सी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ले जा
Photo Copy Attached
27/12
सहायक अधीक्षता
निर्माण विभाग, जो.निं. विभाग
पुणे विभाग.

10. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तब ही किया जायेगा जब योजना हेतु भूमे की उपसुनिश्चित कर उस कब्जा प्राप्त हो जाय। यदि कब्जा नहीं प्राप्त होता है तो उसकी सूचना शासन को समस्त धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

11. यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभाग बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

12. व्यय करने से पूर्व िन मामलों में बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक- 31.03.2006 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टैंडर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय।

13. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

14. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

15. इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय व्ययक में समाज कल्याण विभाग के अनुदान संख्या-30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़कें- आयोजनागत-800-अन्य व्यय-02 अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पौनेन्ट प्लान-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

15. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-548 /XXVII/(2)/2005 दिनांक 28 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- 69 कार्यों की सूची।

भवदीय,

(टी०के० पन्त)

संयुक्त सचिव।

संख्या- 827(1)/111-2/05 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल, इलाहाबाद/ देहरादून।

2- आयुक्त कुमायूं मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

3- समस्त जिलाधिकारी /कोषाधिकारी, उत्तरांचल।

अभियन्ता- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल देहरादून।

6- मुख्य अभियन्ता, कुमायूं क्षेत्र/गढ़वाल क्षेत्र लो०नि०वि०, अल्मोड़ा/पौड़ी।

7- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लो०नि०वि०, उत्तरांचल।

8- वित्त-अनुभाग-2/वित्त-नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।

9- लोक निर्माण अनुभाग-1/2 उत्तरांचल शासन/ गार्डबुक।

7/ 1167/552 चाला- कुमायूं क्षेत्र- 31/3/06

प्रतिलिपि सूची- नैनीताल/गढ़वाल/पौड़ी

नैनीताल/गढ़वाल/पौड़ी

नैनीताल/गढ़वाल/पौड़ी

प्रति समस्त चाला/वर्ष/प्रारंभिक

आज्ञा से,

(टी०के० पन्त)

संयुक्त सचिव।

मुख्य अभियन्ता,
लो० नि० वि०

क्र. ला. गा. देश संख्या-827/111(2)/06-76(प्रा.आ.)/05टी.सी.। दिनांक 28 मार्च, 2006 का संलग्नक

(धनराशि लाख रुपये में)

1	2	3	4	5	6
कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	अनुमानित लागत	टी0सी0 वित्त द्वारा आंकलित राशि	वित्तीय वर्ष 2005-06 में व्यय की स्वीकृति	
1. पिथौरागढ़ में एस.सी.पी. के अन्तर्गत जाख मेलदुंगरी मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य	7.00	101.50	101.50	0.01	
2. एस.सी.पी. के अन्तर्गत जी.आई.सी. सुकौली-डुंगरी रॉवल मोटर मार्ग का नव निर्माण	12.00	213.60	213.60	0.01	
3. देवलथल कनालीछीना मोटर मार्ग के किमी0 4 से 13 का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य	10.00	178.00	178.00	0.01	
4. एस0सी0पी0 के अन्तर्गत नैनी सैनी कुम्हार मोटर मार्ग से कनारी पाँ में होते हुए अम्बेदकर गांव सौड़खेत तक मोटर मार्ग का निर्माण	5.00	89.00	89.00	0.01	
5. एस0सी0पी0 के अन्तर्गत ऐचौली-गैना मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	53.40	53.00	0.01	
6. एस0सी0पी0 के अन्तर्गत मटियाल बैण्ड से ऊपरतोला मोटर मार्ग का विस्तार	1.00	17.80	17.80	0.01	
7. एस0सी0पी0 के अन्तर्गत मटियाल बैण्ड से ऊपरतोला मोटर मार्ग में 36 मी0 व 12 मी0 स्पान सेतु का निर्माण	36.00 व 12.00 मी0	55.20	55.20	0.01	
8. एस.सी.पी. के अन्तर्गत बडावे से सिलिंगिया मोटर मार्ग का विस्तार	3.00	53.40	53.40	0.01	
9. एस.सी.पी. के अन्तर्गत जाख-रावल गांव-धरासी-चमेला-रामेश्वर मोटर मार्ग का नव निर्माण	15.00	267.00	267.00	0.01	
10. दूनी चहज मोटर मार्ग के किमी0 6 से ड्यूलहेड़ा कोट तक मोटर मार्ग का निर्माण	5.00	89.00	89.00	0.01	
11. डिग्री कालेज लोहाघाट से गंगलौला-नसखोला होते हुए अम्बेडकर ग्राम पोखरीबोरा तक मोटर मार्ग का निर्माण	25.00	445.00	445.00	0.01	
12. अमोडा में सल्ट के अन्तर्गत भौनडांडा से जैखाल तक सड़क निर्माण का कार्य	6.00	129.30	106.80	0.01	
13. एस.सी.पी. के अन्तर्गत छेड़ा-कुम्भ्याचौड-नरगोली मोटर मार्ग का नव निर्माण	10.00	178.00	178.00	0.01	
14. एस.सी.पी. के अन्तर्गत अमोडा, कटुली नावां जेरल किमोला मोटर मार्ग का नव निर्माण	12.00	166.80	166.80	0.01	

Photo copy Attest

सहायक अभियंता

निर्माण एवं संचालन विभाग
पिथौरागढ़

387

-7-

61.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत खोला(लोस्तू) देवगढ़ी हेतु गहड़ मोलधार H0वा0 मार्ग को मो0मार्ग में परिवर्तन एवं सुधार कार्य का शेष भाग	0.600	11.64	11.64	0.01
62.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत पवेला हेतु तोली गुजेठा H0वा0 मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं पुनःनिर्माण/ सुधार	0.900	17.46	17.46	0.01
63.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत टिहरी गढ़वाल में पालकोट से चौड जसपुर मोटर मार्ग का निर्माण	5.00	81.00	81.00	0.01
64.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत कालाधातल-सलियाकोट मोटर मार्ग का सुधार एवं डाभरीकरण	8.00	140.80	140.80	0.01
65.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत सतोली-कफूडा मोटर मार्ग का निर्माण	6.00	106.80	106.80	0.01
66.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत बिचखाली-सलकुली मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	35.60	35.60	0.01
67.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत बसगाँव-डडोर-बसती मोटर मार्ग का निर्माण	8.00	142.00	142.00	0.01
68.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत दरमोली-पिठौली मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	35.60	35.60	0.01
69.	भलौन से सिमली-पातली-अमतोली-अमोठा मोटर मार्ग का निर्माण	12.00	279.34	213.60	0.01
	कुल योग		7509.24	6981.98	0.69

(रुपये उनहत्तर हजार मात्र)

(टी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

पतांक 1680 / 12वीं दिनांक 12/4/06

प्रतिलिपि निम्न लिखित को प्रचारक

एव भावप्रक व्यववाही हेतु प्रेषित ।

① एवभापक समितिका प्रचारक
② एवभापक समितिका (सा)
Photo copy/ Attach

प्रतिभासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
देवीताल.

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
देवीताल.

04

31/3/06